मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012-भाद्र 9, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूरा नाम सानन्द कुमार चौधरी पुत्र श्री हनुमानदीन है तथा मेरा स्थायी पता ग्राम पोस्ट झण्ड, तहसील थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं वर्तमान पता जनपद पंचायत, देवरी, जिला सागर (मध्यप्रदेश) है. मैंने अपना सरनेम (उपनाम) चौधरी के स्थान पर सूर्यवंशी कर लिया है.

अब से मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों एवं व्यवहार में मुझे सानन्द कुमार चौधरी के स्थान पर सानन्द कुमार सूर्यवंशी के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(सानन्द कुमार चौधरी)

नया नाम :

(सानन्द कुमार सूर्यवंशी)
जनपद पंचायत देवरी,
जिला सागर (म. प्र.).

(111-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी पूर्व मेरा नाम मेगना बाफना महावीर था जिसे शादी के बाद बदलकर मेघना सुराना कर लिया, अब मुझे नये नाम मेघना सुराना से लिखा-पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(मेगना बाफना महावीर)

नया नाम :

(मेघना सुराना)
1/1, हलालपुर, भोपाल (म. प्र.).

(117-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, संजय गुप्ता पुत्र श्री राजीव कुमार गुप्ता, निवासी ई-3, हरिशंकर पुरम, ग्वालियर (म. प्र.) यह कि मेरी हाईस्कूल मार्कशीट में मेरा नाम चन्द्रप्रकाश गुप्ता अंकित है. जबकि अब मैंने अपना नाम चन्द्रप्रकाश गुप्ता के स्थान पर संजय गुप्ता रख लिया है.

मुझे भविष्य में भी संजय गुप्ता के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(चन्द्रप्रकाश गुप्ता)

नया नाम :

(संजय गुप्ता)
निवासी-ई-3, हरिशंकर पुरम,
ग्वालियर (म. प्र.).

(116-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम शुभांगी चौधरी था. अब वर्तमान में बदलकर शुभांगी जैन हो गया है. अब उसे इसी नाम से जाना जावे.

राजकुमार जैन,
199, अंजनी नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(112-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विवेक पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल था. जो कि बदलकर नवनीत पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल हो गया है. अत: मुझे अब इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(विवेक पाटिल)

नया नाम :

(नवनीत पाटिल)
पिता श्री विनायक राव पाटिल,
1556/10, नंदा नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(114-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Prakriti Jhun Jhunwala, hereby declare that, I have change my name as Prakriti Agrawal D/o Ajay Agrawal. So from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(Prakriti Jhun Jhunwala)

New Name :

(Prakriti Agrawal)
D/o Ajay Agrawal,
E-84, Saket Nagar, Indore (M. P.).

(115-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, अपने पक्षकार डॉ. सुनील कुमार राय आत्मज श्री लेखराम राय, निवासी जे-219, हर्षवर्धन नगर, लिंक रोड नं. 3, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि अब तक मेरे पक्षकार डॉ. सुनील कुमार राय के नाम से जाने जाते थे, वे इस सूचना के प्रकाशन के उपरान्त डॉ. सुनील राय के नाम से जाने जाएंगे. अत: अब से मेरे पक्षकार को डॉ. सुनील राय के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

भवदीय,
राजीव भट्ट (अधिवक्ता),
L.I.G. 1/29, विद्या नगर,
होशंगाबाद रोड, भोपाल-462026.

(118-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अंगद भटनागर पुत्र श्री संजीव भटनागर यह घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंगद सिहं गिल पुत्र दलजीत सिंह गिल लिखा है, अब आज से मुझे अंगद भटनागर पुत्र श्री संजीव भटनागर के नाम से जाना जाए. अब मेरे सभी सरकारी व गैर सरकारी व्यवहार अंगद भटनागर पुत्र श्री संजीव भटनागर के नाम से किये जावेंगे.

पुराना नाम :

(अंगद सिहं)
पुत्र दलजीत सिंह गिल
निवासी-77, रतन कॉलोनी, जीवाजीगंज,
लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नया नाम :

(अंगद भटनागर)
पुत्र श्री संजीव भटनागर,
निवासी-M-77, सेक्टर-1, विनय नगर,
जेल रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(119-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शिवालिका भटनागर पुत्री श्री संजीव भटनागर यह घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में शिवालिका गिल पुत्री दलजीत सिंह गिल लिखा है, अब आज से मुझे शिवालिका भटनागर पुत्री श्री संजीव भटनागर के नाम से जाना जाए. अब मेरे सभी सरकारी व गैर सरकारी व्यवहार शिवालिका भटनागर पुत्री श्री संजीव भटनागर के नाम से किये जावेंगे.

पुराना नाम :

(शिवालिका गिल)
पुत्री दलजीत सिंह गिल,
निवासी-77, रतन कॉलोनी, जीवाजीगंज,
लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नया नाम :

(शिवालिका भटनागर)
पुत्री श्री संजीव भटनागर,
निवासी-M-77, सेक्टर-1, विनय नगर,
जेल रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(120-बी.)

सूचना

हर खासो आम को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ए. बी. इन्टरप्राइजेज राजकुमार ट्रैडर्स के मकान नं. 20, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर के नाम संचालित हो रही है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00210/11 सन् 2011-12 है तथा उपरोक्त फर्म में निम्न भागीदार सम्मिलित हैं. 1. श्रीमती रेनू गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल, निवासी दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर एवं 2. श्रीमती ललिता देवी गर्ग पत्नी श्री मोहन गर्ग, निवासी दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर, 3. श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल, निवासी माधव नगर, लश्कर, ग्वालियर, 4. श्री नयनसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी 1/ए, द्वारिकापुरी, लश्कर, ग्वालियर थे. उपरोक्त फर्म ए. बी. इन्टरप्राइजेज, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर में से फर्म के पार्टनर श्रीमती रेनू गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल एवं ललिता देवी गर्ग पत्नी श्री मोहन गर्ग, निवासी दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर उपरोक्त फर्म से दिनांक 24 अप्रैल, 2012 से अलग हो गये हैं. इसलिये अब श्रीमती रेनू गोयल एवं श्रीमती ललिता देवी गर्ग का उपरोक्त फर्म से एवं फर्म की सम्पत्ति से दिनांक 24 अप्रैल, 2012 से अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा है तथा उपरोक्त फर्म से श्रीमती रेनू गोयल एवं श्रीमती ललिता देवी गर्ग ने अपनी-अपनी हिस्सेदारी का रुपया प्राप्त कर लिया है. अब वर्तमान में फर्म के शेष पार्टनर ही फर्म का कारोबार संचालित कर रहे हैं, उपरोक्त भागीदारों की फर्म से अलग होने की सूचना फर्म द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ग्वालियर-चम्बल संभाग, ग्वालियर दिनांक 9 जुलाई, 2012 को दे दी गयी है.

राधामोहन तिवारी, एडवोकेट
निवासी मंदसौर वाली गली,
लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
EN-1785/99.

(113-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र.जी.बी. चार/पेपर (1) 2012-2013/2901.—मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सामान्य कार्य हेतु लगभग 1600 मी. टन 60 जी. एस. एम. सफेद आफसेट प्रिंटिंग पेपर, 60 जी.एस.एम. आफसेट प्रिंटिंग पेपर विभिन्न रंग में तथा अन्य कार्य के पेपर क्रय हेतु मुहरबन्द तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदाएं पृथक्-पृथक् लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं. समस्त आयटम के लिये पेपर मिल एवं उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि निविदा में भाग ले सकते हैं.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.tenders.gov.in.** एवं **www.govtpressmp.nic. in.** पर रखा गया है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **17 सितम्बर, 2012** को कार्यालयीन समय अपरान्ह 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जाना होगी. निविदा का **टेक्निकल टेण्डर (Technical Tender)** उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **17 सितम्बर, 2012** को अपरान्ह 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

(388)

Bhopal, dated 16th August, 2012

TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper (1) 2012-2013/2901.—Sealed envelopes of Technical & Commercial (separately) tenders are invited for the supply of approximately 1600 M.T. 60 GSM White Offset printing paper, 60 GSM Printing Paper of different colour & other kinds of paper, for general use of different departments in Government of Madhya Pradesh. For all the items, paper manufacturing mills or their authorised dealers/representative can participate.

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website **www.tenders.gov.in** and **www.govtpressmp.nic.in.** and

3. In all respects complete tender document must be received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **17th September, 2012** and the Envelope 'A' of technical tender will be opened on the same day *i.e.* **17th September, 2012** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

HEERALAL TRIVEDI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(388-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, रतलाम

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2011-12.

फॉर्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक श्री अजीत पिता मणीलाल जी मेहता, निवासी 84, मेहता सदन, स्टेशन रोड, रतलाम व अन्य द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास

अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अरिहंत गौ सेवा पारमार्थिक एवं सामाजिक ट्रस्ट, रतलाम के नाम से न्यास पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 27 अगस्त, 2012 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट को इस संबंध में रुचि/आपत्ति हो तो, प्रकरण में नियत दिनांक 27 अगस्त, 2012 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

लोक न्यास का नाम, पता, सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	:	अरिहंत गौ-सेवा पारमार्थिक एवं सामाजिक ट्रस्ट 84, मेहता सदन, स्टेशन रोड, रतलाम.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

दिनेशचन्द्र सिंघी,
रजिस्ट्रार.

(383)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

जारी, दिनांक 15 जून, 2011

राजस्व प्र. क्र. /बी-113(1)/2011-12.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री लक्ष्मण प्रसाद उरमलिया द्वारा ''सार्व भौम ब्राम्हण सेवाश्रम न्यास'' 2215 चन्द्रशेखर वार्ड, नरसिंहनगर, रांझी, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 6 मार्च, 2012 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम	..	''सार्व भौम ब्राम्हण सेवाश्रम न्यास'' 2215 चन्द्रशेखर वार्ड, नरसिंहनगर, रांझी, जबलपुर.
2. चल सम्पत्ति	..	6,722.00 नगद (अंकन छः हजार सात सौ बाईस रुपये मात्र).
3. अचल सम्पत्ति	..	प्लाट खसरा नं. 159/4/3 रकवा 40×43 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, रांझी दो दरी, एक स्टील अलमारी, पाँच राम चरितमानस रहित सहित, एक हारमोनियम, एक ढोलक, एक टेबिल, दो कुर्सी.

संजय जैन,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(384)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, शाजापुर

प्र. क्र. 5/बी-113/2011-12.

(शीर्षक श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ओसवाल समाज ट्रस्ट, मक्सी)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूँकि श्री माणकचंद्र कांसवा पिता नगजीराम कांसवा, निवासी मक्सी अध्यक्ष श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ओसवाल समाज ट्रस्ट, निवासी मक्सी द्वारा श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ओसवाल समाज ट्रस्ट, निवासी मक्सी, तहसील व जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट ''अ''

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण . . नगदी राशि रुपये 61,376/--

परिशिष्ट ''ब''

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण . . धर्मशाला जो झण्डा चौक मक्सी में स्थित.

(385)

प्र. क्र. 6/बी-113/2011-12.

(शीर्षक श्री राम मंदिर न्यास, केवडाखेडी)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

चूँकि श्री चंदर सिंह पिता निर्भयसिंह पंवार, निवासी ग्राम केवडाखेडी तहसील गुलाना, अध्यक्ष श्री राम मंदिर न्यास केवडाखेडी, तहसील गुलाना द्वारा श्री राम मंदिर न्यास केवडाखेडी तहसील गुलाना, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा, के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व-सम्बन्धित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो, उसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट ''अ''

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण . . नगदी राशि रुपये 11,328/-

परिशिष्ट ''ब''

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण . . कृषि भूमि लगभग 12 बीघा जिस पर मंदिर का भी निर्माण है.

अवधेश शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(385-A)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बुरहानपुर

जारी, दिनांक 13 जुलाई, 2012

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक रविन्द्र पिता किसन राउत वगैरा, निवासी गणेश कॉलोनी लालबाग, बुरहानपुर ने ''श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट, गणेश कॉलोनी लालबाग, बुरहानपुर'' का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये ''लोक न्यास'' के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 7 अगस्त, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	. .	श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट, गणेश कॉलोनी लालबाग, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2.	चल सम्पत्ति	. .	निरंक.
3.	अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.

आर. एस. अगस्थी,
पंजीयक.

(386)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 13 जुलाई, 2012

आ. क्र./मा.चि./2012/315.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया वनपरिक्षेत्राधिकारी पुनासा को दक्षिण इंधावड़ी बीट हैमर एन. ए. 18 हैमर इस कार्यालय से दिनांक 12 अगस्त, 1974 को आवंटित किया गया था. वनपरिक्षेत्र कार्यालय अभिलेख अनुसार वर्तमान परिसर रक्षक श्री नरसिंह माणिक बीटगार्ड दक्षिण इंधावड़ी (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को जारी किया गया था. वनपरिक्षेत्राधिकारी पुनासा के पत्र क्र. 665, दिनांक 13 अप्रैल, 2012, 819 दिनांक 3 मई, 2012 एवं उप-वनमण्डलाधिकारी, पुनासा के पत्र क्र. 668, दिनांक 22 अप्रैल, 2012, 737 दिनांक 4 मई, 2012 द्वारा सूचित किया गया कि पार्श्व दर्शाया गया हैमर कहीं गुमा दिया गया है. क्षेत्र सहायक एवं स्टाफ द्वारा खोजबीन करने के उपरान्त भी उक्त हैमर नहीं मिला उक्त हैमर गुम होने की सूचना पुलिस थाने में की गई है.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पार्श्व हैमर वनमंडल स्टाक से अपलेखित किया जाता है. इस विज्ञप्ति के फलस्वरूप कोई भी कार्य उक्त गुमशुदा हैमर का अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले, तो वह निकटतम थाने या वन विभाग के कार्यालय में तत्काल जमा करें या सूचना देवें.

उक्त गुमशुदा हैमर की बाजार दर से कीमत 844/- रुपये (आठ सौ चौवालिस) एक मुश्त श्री वर्तमान परिसर रक्षक श्री नरसिंह माणिक बीटगार्ड, दक्षिण इंधावड़ी के देय स्वत्वों से वसूल करने के आदेश दिया जाता.

ए. के. नागर,

(381) वन संरक्षक,

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, होशंगाबाद

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:—

वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) सुखतवा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2110, दिनांक 8 जून, 2012 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि श्री नीरज मेहरा, वनरक्षक, बीटगार्ड ओझापुरा को प्रदाय बीट हैमर दिनांक 3 जून, 2012 को परिसर ओझापुरा के वनक्षेत्र की गश्ती के दौरान बीटगार्ड को प्रदाय शासकीय बीट हैमर (नीचे अनुरेखित अनुसार) गुम हो गया है. उक्त बीट हैमर की श्री नीरज मेहरा, वनरक्षक, बीटगार्ड ओझापुरा द्वारा काफी खोजबीन की गई. परन्तु प्रश्नांशधीन बीट हैमर नहीं मिला. तत्संबंध में श्री नीरज मेहरा, वनरक्षक, बीटगार्ड ओझापुरा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./7516, दिनांक 4 जुलाई, 2012 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. प्रश्नांशधीन बीट हैमर गुम हो जाने की प्राथमिकी रिपोर्ट दिनांक 5 जून, 2012 को थाना केसला में दर्ज कराई गई है.

प्रकरण में श्री नीरज मेहरा, वनरक्षक, बीटगार्ड ओझापुरा द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) सुखतवा के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया. बचाव उत्तर का परीक्षण कर जवाब को अमान्य करते हुए परिसर रक्षक, ओझापुरा श्री नीरज मेहरा द्वारा शासकीय सम्पत्ति के रख-रखाव में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप निम्न आदेश देता हूँ:—

आदेश

आदेश क्रमांक/मा.चि./511 होशंगाबाद, दिनांक 4 अगस्त, 2012

वन वित्तीय नियम, 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुरेखित बीट हैमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. अनुरेखित बीट हैमर का वर्तमान मूल्य 400/- (चार सौ रुपए) श्री नीरज मेहरा, वनरक्षक, बीटगार्ड ओझापुरा के माह जुलाई, 2012 के वेतन से एकमुश्त वसूल किया जाता है. परिसर रक्षक द्वारा बरती लापरवाही के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1966 की धारा (10) के तहत परिनिंदित किया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि निम्न अनुरेखित आकृति का हैमर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह उसे निकटतम वन कार्यालय या संबंधित पुलिस थाना में जमा कर देवें. यदि यह अनुरेखित हैमर को अनाधिकृत रूप से रखना पाया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है तो अवैधानिक होगा एवं उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

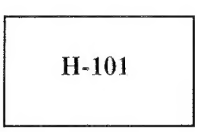

अमित के. दुबे,

(382) वनमण्डल अधिकारी.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, शिव बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).

शिव बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुरहट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न शिव बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुरहट, पंजीयन क्रमांक 478, दिनांक 25 अगस्त, 1988 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, प्राथमिक ईंधन सहकारी समिति मर्या., रामपुरनैकिन, जिला सीधी (म. प्र.).

प्राथमिक ईंधन सहकारी समिति मर्या., रामपुरनैकिन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न प्राथमिक ईंधन सहकारी समिति मर्या., रामपुरनैकिन पंजीयन क्रमांक 855, दिनांक 23 अप्रैल, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या.,
सिविल लाईन सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).

आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., सिविल लाईन सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., सिविल लाईन सीधी, पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, मुखर्जी प्लास्टिक एवं लीफ पार्ट निर्माण एवं
क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).

मुखर्जी प्लास्टिक एवं लीफ पार्ट निर्माण एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न मुखर्जी प्लास्टिक एवं लीफ पार्ट निर्माण एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी, पंजीयन क्रमांक 827, दिनांक 27 जुलाई, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, छत्रजीत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गाड़ाबवन सिंह, जिला सीधी (म. प्र.).

छत्रजीत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गाड़ाबवन सिंह मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न छत्रजीत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गाड़ाबवन सिंह, पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 21 मार्च, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, श्री राम आदिवासी मछली सहकारी समिति मर्या., गजरी, जिला सीधी (म. प्र.).

श्री राम आदिवासी मछली सहकारी समिति मर्या., गजरी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न श्री राम आदिवासी मछली सहकारी समिति मर्या., गजरी, पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 13 जुलाई, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., हड़बड़ो, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., हड़बड़ो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., हड़बड़ो, पंजीयन क्रमांक 755, दिनांक 20 नवम्बर, 1997 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., विलारो, जिला सीधी (म. प्र.).

रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., विलारो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी

संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., विलारो, पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 27 जनवरी, 2009 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, क्रय-विक्रय महिला सहकारी समिति मर्या., हटवा (खास), जिला सीधी (म. प्र.).

क्रय-विक्रय महिला सहकारी समिति मर्या., हटवा (खास) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा,

उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न क्रय-विक्रय महिला सहकारी समिति मर्या., हटवा (खास), पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, ईटा भट्ठा सहकारी समिति मर्या., पटपरा, जिला सीधी (म. प्र.).

ईटा भट्ठा सहकारी समिति मर्या., पटपरा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न ईटा भट्ठा सहकारी समिति मर्या., पटपरा, पंजीयन क्रमांक 626, दिनांक 31 मार्च, 1992 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी स्मृति महिला सिलाई कढ़ाई
बुनाई सहकारी समिति मर्या., रोम्भौहा, जिला सीधी (म. प्र.).

इन्दिरा गांधी स्मृति महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई सहकारी समिति मर्या., रोम्भौहा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न इन्दिरा गांधी स्मृति महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई सहकारी समिति मर्या., रोम्भौहा, पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 24 फरवरी, 1988 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, मछली पालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह, जिला सीधी (म. प्र.).

मछली पालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न मछली पालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह, पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 11 जून, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-K)

सीधी, दिनांक 5 अप्रैल, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र. /परिसमापन/2012/494.—आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न

आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 31 जनवरी, 1995 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, जगन्नाथ आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., सलैंहा, जिला सीधी (म. प्र.).

जगन्नाथ आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., सलैंहा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न जगन्नाथ आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., सलैंहा, पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, जिला सीधी (म. प्र.).

आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत

सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारण से क्यों न आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कला (गोरियरा) जिला सीधी (म. प्र.).

आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कला (गोरियरा) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह -1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कला (गोरियरा), पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 3 अप्रैल, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, रजत जयंती आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., कठास, जिला सीधी (म. प्र.).

रजत जयंती आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., कठास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5--1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न रजत जयंती आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., कठास, पंजीयन क्रमांक 453, दिनांक 16 मार्च, 1984 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., बहेरा, जिला सीधी (म. प्र.).

आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., बहेरा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी

संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारण से क्यों न आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., बहेरा, पंजीयन क्रमांक 682, दिनांक 4 मई, 1994 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-Q)

सीधी, दिनांक 5 अप्रैल, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल.

द्वारा.— अध्यक्ष, हरिजन मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हड़बड़ो, जिला सीधी (म. प्र.).

हरिजन मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हड़बड़ो, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए

मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न हरिजन मछली पालन सहकारी समिति मर्या.,हड़बड़ो, पंजीयन क्रमांक 458, दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, जिला सीधी (म. प्र.).

आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 31 जनवरी, 1995 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, सोनांचल माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रामपुर (सिंहावल), जिला सीधी (म. प्र.).

सोनांचल माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रामपुर (सिंहावल), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न सोनांचल माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रामपुर (सिंहावल), पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 7 जुलाई, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति करदी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

नरेश सिन्हा,
उप-रजिस्ट्रार.

(387-T)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1999 के नियम-61 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012-13/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्री हरि महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., लोहानाकुटी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/48 दिनांक 13-5-03.	क्रमांक/स्वा./अंके. 2009/623 दिनांक 24-4-09.	623/24-4-09

अत: मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1999 की धारा-61 के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 13 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(377)

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1999 के नियम-61 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012-13/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., खेड़ावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/47 दिनांक 12-5-2003.	स्वा./अंके. 2009/623 दिनांक 22-4-09.	623/22-4-09

अत: मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1999 की धारा-61 के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना, देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(377-A)

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1999 के नियम-61 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012-13/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आनन्द महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., भेरूपचलाना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	DR/UJN/32 दिनांक 22-4-2003.	स्वा./अंके. 2009/623 दिनांक 22-4-09.	623/22-4-09

अत: मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1999 की धारा-61 के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना, देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एस. एल. चौहान,

(377-B) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 8 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्रमांक/परिसमापन/2012/346.—जागृति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, नीमच तहसील नीमच, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 781, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/206, दिनांक 19 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए जागृति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, नीमच को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-79 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री चौहान परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 8 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(378)

नीमच, दिनांक 8 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्रमांक/परिसमापन/2012/347.—आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सिंगोली, तहसील जावद, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 27 अप्रैल, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/214, दिनांक 19 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सिंगोली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-79 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बामनिया परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 8 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(378-A)

नीमच, दिनांक 8 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्रमांक/परिसमापन/2012/348.—सालवी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, दारू, तहसील नीमच, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/213, दिनांक 19 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए सालवी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, दारू को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-79 (1) के अन्तर्गत सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि सुश्री बडगोती परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 8 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(378-B)

नीमच, दिनांक 8 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्रमांक/परिसमापन/2012/349.—दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अमरपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 171, दिनांक 8 जनवरी, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/215, दिनांक 19 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अमरपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-79 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव चौधरी, दुग्ध पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री चौधरी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 8 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(378-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष,
शासकीय कर्मचारी कल्याण साख समिति मर्यादित, नीमच.

शासकीय कर्मचारी कल्याण साख समिति मर्यादित, नीमच, जिला नीमच पंजीयन क्रमांक AR/NMH/62, दिनांक 26 अगस्त, 2005 के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.
2. संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन नहीं कर पा रही है.
3. अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था के निर्वाचन आदेश जारी होने के उपरांत भी सदस्यों की अक्रियाशीलता के कारण निर्वाचन नहीं करा पा रही है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, जिला नीमच, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-क, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए शासकीय कर्मचारी कल्याण साख समिति मर्यादित, नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक AR/NMH/62, दिनांक 26 अगस्त, 2005 है, को एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के 30दिवस के अंदर आप उक्त कारणों पर अपना लिखित उत्तर मय प्रमाण के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाकर कि आपको उक्त कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना है, यथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(372)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
द्वारा अध्यक्ष,
लक्ष्मी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुरा, तहसील नीमच.

मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुरा, जिला नीमच पंजीयन क्रमांक AR/NMH/98, दिनांक 10 अगस्त, 2007 के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.

2. संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम, नियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने सदस्यों के हितों का संवर्धन नहीं कर पा रही है.

3. अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था के निर्वाचन आदेश जारी होने के उपरांत भी सदस्यों की अक्रियाशीलता के कारण निर्वाचन नहीं करा पा रही है.

अत: मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, जिला नीमच, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-क, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए लक्ष्मी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुरा, तहसील नीमच, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक AR/NMH/98, दिनांक 10 अगस्त, 2007 है, को एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के 30दिवस के अंदर आप उक्त कारणों पर अपना लिखित उत्तर मय प्रमाण के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाकर कि आपको उक्त कारणों के संबंध में कुछ नहीं कहना है, यथा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. आर. निरगुडे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(372-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 2 मई, 2012

क्रमांक/परिसमापन/2012/417.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ागांव, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 27 नवम्बर, 1986 संस्था कार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/30, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011 जारी किया गया. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जावे. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की गई है.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र से संस्था को समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 10 फरवरी, 2012 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-1999-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडागॉव, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 27 नवम्बर, 1986 को आज दिनांक 2 मई, 2012 से परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, नलखेडा को उपरोक्त संस्था का परिमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे.

यह आदेश आज दिनांक 2 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(379)

शाजापुर, दिनांक 2 मई, 2012

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ढण्डेडा, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2011/31, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011 जारी किया गया. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जावे. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की गई है.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र से संस्था को समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 10 फरवरी, 2012 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-1999-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ढण्डेडा, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 को आज दिनांक 2 मई, 2012 से परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, नलखेडा को उपरोक्त संस्था का परिमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे.

यह आदेश आज दिनांक 2 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(379-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रोसी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 29 अक्टूबर, 1979 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/973, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मई, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(379-B)

कार्यालय परिसमापक एवं दुग्ध शीत केन्द्र मेहगांव, जिला भिण्ड

दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 162 क नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र. /परि./12/02.—संशोधित आदेश क्रमांक उपा./भिण्ड/परि./2012/314, भिण्ड, 22 मई, 2012 के आदेशानुसार निम्नलिखित दुग्ध सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक
1.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., बसन्तपुरा	913/23-5-2005
2.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., सुजानपुरा	873/05-10-2003
3.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., मानगढ़	470/29-07-1987
4.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., नौधा	625/31-01-1989
5.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., चारघर का पुरा	564/29-09-1988
6.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., पड़कौली	387/28-04-1986
7.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., विरखड़ी (गोहद)	311/27-06-1981
8.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., खेरे का पुरा	812/31-05-2001
9.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., कढवॉ	393/22-12-1998
10.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., बड़पुरा	863/12-03-2003
11.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., छीमका	310/25-05-1981
12.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., असोहना	536/30-03-1988
13.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., नोनेरा	810/31-05-2001
14.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., खनेता	312/12-01-1982
15.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., गुतौर	330/23-03-1982
16.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., ताल का पुरा	835/30-04-2002
17.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., मोहनपुरा	406/15-05-1986

1	2	3
18.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., तेजपुरा (गोरमी)	408/15-05-1986
19.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., सकराया	420/30-09-1986
20.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., कुटरौली	411/26-05-1986
21.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., दुल्हागन	436/11-12-1986
22.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., मधैयापुरा	837/03-04-2002
23.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., हमीरपुरा	836/03-04-2002
24.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., रमा	441/22-12-1986
25.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., गजना	431/11-12-1986
26.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., बढ़पुरा	594/29-09-1988
27.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., खुर्द (असनेट)	605/31-01-1989
28.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., घमूरी	374/26-06-1986
29.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., घासीपुरा	542/30-03-1988
30.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., भरौली खुर्द	563/29-09-1988
31.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., देहरा	592/29-09-1989
32.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., पीपरी	664/29-11-1989
33.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., रैपुरा	662/29-11-1989
34.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., गाता	331/31-07-1982
35.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., मृगपुरा	590/29-09-1988
36.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., बबेड़ी	567/29-09-1988
37.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., खिदरपुरा	666/29-11-1989
38.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., सीताराम का पुरा	560/29-09-1988
39.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., जारी	582/29-09-1988
40.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., पावई	589/29-09-1988
41.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., लावन	561/29-09-1988
42.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., गढ़ी	420/06-08-1986
43.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., भारौली कला	566/29-09-1988
44.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., पिथनपुरा	314/18-01-1981
45.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., परा	591/29-09-1988
46.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., जौरी ब्राहम्ण	663/29-11-1989
47.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., परसुराम का पुरा	665/29-09-1988
48.	दुग्ध समिति (सह.) मर्या., रमपुरा	410/15-05-1986

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, मेहगांव, जिला भिण्ड कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी

लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध सभी दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये हैं, तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिस की जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं समक्ष अधिकारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

अत: सूचना आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. शर्मा,
ग्रा.वि.सं. एवं परिसमापक.

(376)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमलया रायमल जिसका पंजीयन क्र. 824, दिनांक 24 मार्च, 1986 है, परिसमापन में लाया जाकर श्री के. के. जायसवाल मार्ग पर्यवेक्षक दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया. संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 को संस्था को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव-ठहराव दिनांक 01 जनवरी, 2008 की कार्यवाही कार्यालय में प्रस्तुत की गई. संस्था परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित किया गया कि, दिनांक 01 जनवरी, 2008 को संस्था की साधारण सभा में समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु सहमति व्यक्त की गई.

परिसमापक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित करने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संस्था के वर्तमान एवं नवीन बनने वाले सदस्य जो कृषि आधारित व्यवसाय (दुग्ध उत्पादन) से संबंध रखते हैं, के हित में संस्था का परिसमापन समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करने से लगभग 21 परिवारों को दुग्ध उत्पादन व विक्रय की सुविधा प्राप्त हो सकेगी. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की उक्त अनुसार मांग की गई है. इसकी अनुशंसा दुग्ध संघ, इन्दौर द्वारा भी की गई है.

अत: परिसमापक के प्रतिवेदन एवं सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित प्रतीत होने से मैं, एम. सी. चौरे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलया रायमल जिला इन्दौर के परिसमापन आदेश क्रमांक 565, दिनांक 12 जुलाई, 1998 को निरस्त करते हुए संस्था को तत्काल प्रभाव से पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के निर्वाचन होने तक संस्था की आमसभा दिनांक 1 जनवरी, 2008 के निर्णय अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को संस्था का संचालक एवं पदाधिकारी नियुक्त नामांकित करता हूँ एवं यह निर्देश करता हूँ कि वे तीन माह के भीतर संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न करावें.

नामांकित संचालक मण्डल:—

1. श्री प्रेमनारायण गोगाराम, अध्यक्ष
2. श्री नगजीराम मूलचंद, उपाध्यक्ष
3. श्री अंगूरसिंह जुगलकिशोर, सदस्य
4. श्री अर्जुनसिंह हितुसिंह, सदस्य
5. श्री लाखन सिंह गोकुलसिंह, सदस्य
6. श्री रूपसिंह कुंवरजी, सदस्य
7. श्रीमती सतरूपा सोहनसिंह, सदस्य
8. श्रीमती सुशीला नरेन्द्रसिंह, सदस्य
9. श्रीमती मनोरमा अशोकसिंह, सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

एम. सी. चौरे,
सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.).

(368)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरलाई जागीर जिसका पंजीयन क्र. 507, दिनांक 7 अप्रैल, 1977 है, परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. राठौर मार्ग पर्यवेक्षक दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया. संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 को संस्था को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव-ठहराव दिनांक 29 जुलाई, 2009 की कार्यवाही कार्यालय में प्रस्तुत की गई. संस्था परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित किया गया कि, दिनांक 29 जुलाई, 2009 को संस्था की साधारण सभा में समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु सहमति व्यक्त की गई.

परिसमापक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित करने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संस्था के वर्तमान एवं नवीन बनने वाले सदस्य जो कृषि आधारित व्यवसाय (दुग्ध उत्पादन) से संबंध रखते हैं, के हित में संस्था का परिसमापन समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करने से लगभग 21 परिवारों को दुग्ध उत्पादन व विक्रय की सुविधा प्राप्त हो सकेगी. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की उक्त अनुसार मांग की गई है.

अत: परिसमापक के प्रतिवेदन एवं सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित प्रतीत होने से मैं, शिवम मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरलाई जागीर, जिला इन्दौर के परिसमापन आदेश क्रमांक 10511, दिनांक 28 नवम्बर, 1978 को निरस्त करते हुए संस्था को तत्काल प्रभाव से पुनर्जीवित करता हूँ. एवं संस्था के निर्वाचन होने तक संस्था की आमसभा दिनांक 29 जुलाई, 2009 के निर्णय अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को संस्था का संचालक एवं पदाधिकारी नियुक्त नामांकित करता हूँ एवं यह निर्देश करता हूँ कि वे तीन माह के भीतर संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न करावें.

नामांकित संचालक मण्डल:—

1. श्री यशवंत अमरसिंह, अध्यक्ष
2. श्री राजेश प्रहलाद डाबी, उपाध्यक्ष
3. श्री मेहरबान डाबी, सदस्य
4. श्री पुरूषोत्तम डाबी, सदस्य
5. श्री सीताराम डाबी, सदस्य
6. श्री संतोष राठौर, सदस्य
7. श्री दिनेश मोतीराम, सदस्य
8. श्री रणजीत गौड़, सदस्य
9. श्री सतीश विक्रम, सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

शिवम मिश्रा,
सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.).

(369)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./640, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिमरिया गुलाबसिंह, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./510, दिनांक 4 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षकको संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिमरिया गुलाब सिंह, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(370)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./638, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवलपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./508, दिनांक 4 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवलपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(370-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./639, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हथकुरी पिपरिया, तहसील पबई, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./509, दिनांक 4 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-5-6-79-(1)-पन्द्रह-बी, दिनांक 27 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हथकुरी पिपरिया, तहसील पबई, जिला पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
सहायक पंजीयक.

(370-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंज/परि./2006/11, बालाघाट, दिनांक 03 जनवरी, 2007 के द्वारा प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बिनौरा, पंजीयन क्रमांक 516, दिनांक 25 मार्च, 1995 विकासखण्ड किरनापुर व जिला बालाघाट जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बिनौरा, पंजीयन क्रमांक 516, दिनांक 25 मार्च, 1995 विकासखण्ड किरनापुर व जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बिनौरा, पंजीयन क्रमांक 516, दिनांक 25 मार्च, 1995 विकासखण्ड किरनापुर व जिला बालाघाट का पंजीयन रदद् किया जाना उचित है.

अत: मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बिनौरा, पंजीयन क्रमांक 516, दिनांक 25 मार्च, 1995 विकासखण्ड बालाघाट व जिला बालाघाट का पंजीयन रदद् करता हूँ.

आदेश आज दिनांक 16 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(380)

कार्यालयीन आदेशानुसार निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी:—

क्र.	नाम संस्था	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	वैनगंगा सिंचाई सहकारी समिति मर्या., बटरमारा.	237/21-01-1973	1316/18-05-1983	श्रीमती प्रतिमा सरियाम, स.वि.अ.
2.	वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बेलगांव	431/07-11-1991	862/21-03-1996	,, ,,
3.	,, लोढ़ांगी	420/07-11-1991	863/21-03-1996	,, ,,

1	2	3	4	5
4.	वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कोसमारा	422/07-11-1991	864/21-03-1996	श्रीमती प्रतिमा सरियाम, स.वि.अ.
5.	,, अकोला	417/07-11-1991	865/21-03-1996	,, ,,
6.	,, केसा	460/29-11-1991	866/22-03-1996	,, ,,
7.	,, बोरगांव	418/07-11-1991	867/22-03-1996	,, ,,
8.	,, साल्हे	412/07-11-1991	885/22-03-1996	,, ,,
9.	,, माटे	416/07-11-1991	822/03-06-1999	,, ,,
10.	प्रा. शताब्दी यातायात सह. समिति मर्या., किरनापुर	463/02-02-1992	1150/10-08-2007	,, ,,
11.	दुग्ध सह. समिति मर्या., कुंडा मोहगांव	579/31-03-1997	750/23-07-2011	,, ,,
12.	,, दिगोदा	484/22-11-1997	484/22-11-1997	,, ,,
13.	,, डूंडासिवनी	566/31-03-1997	752/23-07-2011	,, ,,
14.	,, बूढ़ी (हट्टा)	661/31-03-2005	283/07-03-2012	,, ,,
15.	,, दहेदी	573/31-03-1997	821/15-06-2012	,, ,,
16.	,, जराही	493/22-11-1993	822/15-06-2012	,, ,,
17.	,, पारडी	499/18-01-1994	823/15-06-2012	,, ,,

उक्त आदेशों में संशोधन करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को आगामी आदेश तक उक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं. संस्था परिसमापक तीन माह की अवधि में समितियों की देनदारियों-लेनदारियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371)

कार्यालयीन आदेशानुसार निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी:—

क्र.	नाम संस्था	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	वृक्ष सहकारी समिति मर्या., धापेवाड़ा	411/01-11-1991	883/22-03-1996	श्रीमती प्रतिमा सरियाम
2.	,, परासपानी	446/12-11-1991	882/22-03-1996	,, ,,
3.	,, समनापुर	414/07-11-1991	880/22-03-1996	,, ,,
4.	,, बालाघाट	419/07-11-1991	881/22-03-1996	,, ,,
5.	,, केसलेवाड़ा	415/07-11-1991	879/22-03-1996	,, ,,
6.	जिला वृक्ष सहकारी संघ, बालाघाट	461/29-11-1991	3261/04-12-2002	,, ,,
7.	वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मगरदर्रा	413/07-11-1991	884/22-03-1996	,, ,,
8.	विवेक प्राथ. गृह निर्माण सह. समिति मर्या., बालाघाट.	299/10-11-1983	2938/01-10-2002	,, ,,
9.	आदिवासी विकास कामगार सह. समिति, बालाघाट	532/03-02-1996	1598/22-09-2000	,, ,,
10.	महिला गृह उद्योग सह. समिति मर्या., बालाघाट	304/26-12-2004	1025/05-09-2006	,, ,,
11.	द गवर्नमेन्ट एम्पलाईज सह. साख समिति मर्या., बालाघाट.	208/28-11-1970	1471/03-11-2006	,, ,,

1	2	3	4	5
12.	जिला शिक्षक कल्याण सह. समिति मर्या., बालाघाट.	31/11-04-1977	1655/28-09-2000	श्रीमती प्रतिमा सरियाम
13.	प्राथ. जनता साख सह. समिति मर्या., बालाघाट	639/10-9-2003	749/23-07-2011	,, ,,
14.	आदर्श चाक उद्योग सह. समिति मर्या., बालाघाट	621/27-4-2003	747/23-07-2011	,, ,,
15.	प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समिति मर्या., भरवेली	605/18-05-2000	748/23-07-2011	,, ,,
16.	शिक्षक साख सह. समिति मर्या., बालाघाट	545/29-07-1996	284/-07-03-1984	,, ,,

उक्त आदेशों में संशोधन करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी,बालाघाट को आगामी आदेश तक उक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं. संस्था परिसमापक तीन माह की अवधि में समितियों की देनदारियों-लेनदारियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(371-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 (5) (क) के अन्तर्गत]

स्वायत्त मत्स्योद्योग सहकारिता मर्या., परसौरा, तहसील व जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 15, दिनांक 3 सितम्बर, 2003 द्वारा साधारण सभा दिनांक 2 जुलाई, 2012 को आयोजित कर सहकारिता के विघटन का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत कर सहकारिता के विघटन का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन-पत्र एवं सहकारिता की साधारण सभा के कार्यवाही विवरण का परीक्षण श्री एस. के. श्रीवास्तव, व.स.नि. द्वारा कराया गया. कार्यालय स्तर पर श्री के. आर. आर्य, व. स. नि. द्वारा प्रस्तुत परीक्षण के अनुसार सहकारिता में आस्तियां एवं दायित्व शेष नहीं है तथा समस्त 11 सदस्यों को उनकी अंशपूंजी वापस कर दी गई है एवं लेनदारों के कोई दावे शेष नहीं हैं. फलस्वरूप सहकारिता का विघटन किया जाकर सहकारिताओं के रजिस्टर से सहकारिता का नाम हटाये जाने की कार्यवाही अपेक्षित हो गई है. प्रस्तुत कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर यह दिखलाई पड़ता है कि सहकारिता के सदस्य सहकारिता का अस्तित्व बनाये रखना नहीं चाहते हैं एवं सहकारिता के विघटन का प्रमाण-पत्र चाहते हैं. सहकारिता विगत दो वर्षों से अकार्यशील है. माननीय मध्यप्रदेश राज्य अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील क्रमांक 60/10 में पारित निर्णय दिनांक 24 अप्रैल, 2012 को दृष्टिगत रखते हुए स्वायत्त सहकारिता को समापन से पुनर्जीवित किया जाना उचित नहीं है. ऐसी स्थिति में सहकारिता का विघटन किया जाना, सहकारिता के रजिस्टर से नाम हटाया जाना एवं प्रमाण-पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-58 की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-8-2001-पन्द्रह-1, भोपाल दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए स्वायत्त मत्स्योद्योग सहकारिता मर्या., परसौरा, तहसील व जिला रायसेन का विघटन किया जाकर विघटन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तथा सहकारिताओं के रजिस्टर से स्वायत्त मत्स्योद्योग सहकारिता मर्या., परसौरा, तहसील व जिला रायसेन का नाम हटाया जाता है.

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(373)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012-भाद्रपद 9, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 मई, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर,मंदसौर, उज्जैन, सीहोर, बैतूल, जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—जिला ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), मन्दसौर, शामगढ़ (मन्दसौर), महिदपुर, घटिया (उज्जैन), सीहोर (सीहोर), भैंसदेही, चिचली (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला नीमच, धार, पं. निमाड़, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल तथा डिण्डोरी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सिंगरौली, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, बैतूल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16 मई, 2012

जिला/तहसीलें,	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :-, (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, सोयाबीन,गेहूँ, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
***जिला श्योपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	1.1		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	6.0		मूँगफली अधिक. तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	1.0		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. सारंगपुर	. .				
7. पलेरा	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. ओरछा	. .				
10. लिधौरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
*जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		मसूर, तिवड़ा, मटर, प्याज समान.		
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अलसी अधिक, मसूर कम. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		चना, जौ, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	. .		(2) . .		
4. मऊगंज	. .				
5. मनगवां	. .				
6. हनुमना	. .				
7. हजूर	. .				
8. गुढ़	. .				
9. रायपुरकर्चुलियान	. .				
10. जबा	. .				
11. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
5. बुढ़ार	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, गेहूँ, जौ		
4. कुसमी	. .		समान.		
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी अधिक. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		मसूर, आलू, जौ, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	8.0				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	7.0				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	3.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	4.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, प्याज अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गर्मी की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) . .		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	6.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	. .	
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. चना, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना कम. जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	14.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचौली	5.2				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना,		
4. गोटेगांव	. .		मटर समान.		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		अलसी, जौ सुधरी हुई.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		कपास समान.		
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेडा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		कम.		
4. बरघाट	. .		(2) . .		
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		तिवड़ा समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला श्योपुर, भिण्ड, अशोकनगर, गुना, पन्ना, रतलाम से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(375)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.